Dainik Bhaskar, New Delhi Thursday, 10th January 2019; Page: 4 Width: 16.51 cms; Height: 18.93 cms; a4; ID: 16.2019-01-10.41

## <u>बिजली मांगने पर 17 लोगों को भेजा था जेल</u> बिजली के लिए गए थे एमएलए के घर, हवालात में डाल दिया

दर्ज किए। बुधवार को 11 पीड़ितों ने एसीपी कार्यालय पहुंच उन्हें दर्द सुनाया और तत्कालीन थाना प्रभारी के रवैये पर सवाल उठाते हुए उनकी कार्यशैली को कठघरे में खड़ा किया है। पीड़ितों ने कहा कि वह चोर अथवा क्रिमिनल नहीं थे, जो उनके साथ पुलिस ने अपराधी जैसा व्यवहार किया था। सीनियर सिटीजन तक के कपडे उतरवाकर पूरी रात हवालात में बंद रखा था। ऐसे पुलिस अधिकारी को सजा मिलनी चाहिए। जो वर्दी के रौब में इंसानियत और मानवीयता को ताक पर रख निर्दोष लोगों के खिलाफ गैर कानूनी कार्रवाई करते हैं। पुलिस ने पीड़ितों के बयान दर्ज कर उनके हस्ताक्षर कराए।

मानव अधिकार आयोग हुआ सख्त, एसीपी कार्यालय पहुंच 11 पीड़ितों ने दुख दर्द सुनाया

SION

इस्य मानव अधिकार

MATIONIAL

भास्कर न्यूज | फरीदाबाद

बिजली समस्या को लेकर गए ग्रीनफील्ड कॉलोनी के 17 लोगों को 22 जून की रात विधायक के घर के सामने से गिरफ्तार कर जेल भेजने के मामले में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने पुलिस को नोटिस जारी कर पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी है। आयोग के आदेश पर एसीपी गजेंद्र कुमार ने पीड़ितों को बुलाया और उनके बयान